डॉ सुमीत जैरथ, आई.ए.एस.
सचिव
Dr. SUMEET JERATH, I.A.S.
Secretary

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
राजभाषा विभाग
गृह मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

अ .पत्र सं .शा.11011/14/2020 (.अनु).भा.रा-

दिनांक :30 मार्च, 2021

विषय : संघ का राजकीय कार्य हिंदी में करने के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 का वार्षिक कार्यक्रम|

आदरणीय महोदय,

राजभाषा संकल्प 1968 के अनुसार हमें हिंदी के प्रसार एवं विकास की गति को तीव्र करना है; एक अधिक गहन एवं व्यापक कार्यक्रम तैयार करके उसे कार्यान्वित करना है| इसके अनुसरण में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा प्रति वर्ष केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों द्वारा अनुपालन के लिए वार्षिक कार्यक्रम तैयार किया जाता है| इसी क्रम में मुझे बहुत हर्ष और गर्व है कि संघ का राजकीय कार्य अत्यंत उत्साह और उल्लास के साथ हिंदी में करने के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 का वार्षिक कार्यक्रम जारी किया जा रहा है, जिसकी प्रति संलग्न है| यह राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय की वेबसाइट www.rajbhasha.gov.in पर भी उपलब्ध है|

2. **माननीय प्रधानमंत्री - श्री नरेन्द्र मोदी जी के "स्मृति विज्ञान" (Mnemonics) से प्रभावित होकर; माननीय गृह मंत्री – श्री अमित शाह जी के कुशल मार्गदर्शन तथा माननीय गृह राज्य मंत्री – श्री नित्यानंद राय जी के प्रेरणादायक नेतृत्व में राजभाषा विभाग ने राजभाषा हिंदी के सफल कार्यान्वयन के लिए 12 "प्र" की रूपरेखा और रणनीति तैयार की है जिसके स्तंभ हैं :**

- **प्रेरणा (Inspiration and Motivation)**
- **प्रोत्साहन (Encouragement)**
- **प्रेम (Love and affection)**
- **प्राइज़ अर्थात पुरस्कार (Rewards)**
- **प्रशिक्षण (Training)**
- **प्रयोग (Usage)**
- **प्रचार (Advocacy)**

तृतीय तल, एन.डी.सी.सी.-II भवन, जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001
फोन : (91) (11) 23438266, फैक्स : (91) (11) 23438267, ई-मेल : secy-ol@nic.in

- **प्रसार (Transmission)**
- **प्रबंधन (Administration and Management)**
- **प्रमोशन (पदोन्नति) (Promotion)**
- **प्रतिबद्धता (Commitment)**
- **प्रयास (Efforts)**

3 राजभाषा विभाग का मानना है कि पहले 10 "प्र" हिंदी कार्यान्वयन की गति को तीव्र करने के लिए आवश्यक परिस्थितियां (Necessary Conditions) हैं; अंतिम 2 "प्र" – शीर्ष नेतृत्व की प्रतिबद्धता और प्रयास पर्याप्त परिस्थितियां (Sufficient Conditions) हैं|

4. उपरोक्त के आलोक में, मैं आपसे पुन: आग्रह करता हूं कि राजभाषा नियम, 1976 के नियम 12 के अनुसार आप हिंदी के लिए एक अनुकूल और उत्साहवर्धक वातावरण बनाएं; स्वयं मूल कार्य हिंदी में करें जिससे आपके उदाहरणमय नेतृत्व (Exemplary Leadership) से सभी को प्रेरणा और प्रोत्साहन मिले और समय-समय पर हिंदी के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी (Monitoring) भी करें|

5. राजभाषा विभाग आपसे पुन: अनुरोध करता है :

(क) **हर माह में एक बार सचिव / अध्यक्ष अपनी अध्यक्षता में जब वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक करते हैं तब इसमें हिंदी में काम-काज की प्रगति और राजभाषा नियमों के कार्यान्वयन का मद भी अवश्य रखें और चर्चा करें|**

(ख) **अपने मंत्रालय/ विभाग/ संस्थान में अपने संयुक्त सचिव (प्रशासन)/ प्रशासनिक प्रमुख को ही हिंदी कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व दें और हर तिमाही में उनकी अध्यक्षता में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति (OLIC) की बैठक करें।**

6. इस संदर्भ में केंद्रीय हिंदी समिति की 31वीं बैठक के कार्यवृत्त में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिए गए सुझावों को पुन: बल देना भी उपयुक्त होगा - सरकारी हिंदी और सामाजिक हिंदी के अंतर को कम करना; देश की दूसरी भाषाओं से हिंदी को और समृद्ध करने के लिए उपाय करना – दूसरी भाषाओं के अच्छे शब्दों को हिंदी में ग्रहण करना, दूसरी भारतीय भाषाओं से दस-दस अच्छे शब्दों को खोजकर हिंदी भाषा में जोड़ना; हिंदी में अनुवाद सरल भाषा में सुनिश्चित करना जिससे सरकारी भाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार में बाधक नहीं, सहायक हो|

7. मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हम सभी के सार्थक और सामूहिक प्रयासों से हम सब राजभाषा प्रयोग संबंधी संवैधानिक और सांविधिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम 2021-22 के विभिन्न लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे; संकल्प से सिद्धि हासिल करेंगे|

जय राज भाषा ! जय हिंद !

शुभेच्छु,

सुमीत जैरथ

30/03/2021

(डॉ. सुमीत जैरथ)

<u>भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव एवं सरकारी उपक्रमों/ बैंकों/ संस्थानों के अध्यक्ष और महाप्रबंधक</u>